न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी श्री रमेश कुमार आर.ए.एस.

नं.मु. संख्या 01/2023

निर्णय दिनांक : 05/09/2023

1. लालाराम पुत्र स्व. हरकाराम जाति मेघवाल उम्र व्यस्क निवासी ग्राम मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ हाल निवासी ऊँटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. लुणाराम पुत्र स्व. हरकाराम जाति मेघवाल उम्र व्यस्क निवासी ग्राम मुन्दडा तहसील सुजानगढ़ हाल निवासी ऊँटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
3. भंवरी पुत्री स्व. हरकाराम पत्नी पूर्णाराम जाति मेघवाल उम्र व्यस्क निवासी ग्राम मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

.............अपीलान्ट

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र स्व. मांगीलाल जाति मेघवाल नि. ग्राम मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
2. कैलाश देवी पत्नी स्व. मांगीलाल जाति मेघवाल नि. ग्राम मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
3. सुशिला देवी पुत्री स्व. मांगीलाल जाति मेघवाल नि. ग्राम मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
4. किशनी पत्नी स्व. दानाराम जाति मेघवाल नि. ग्राम मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
5. सरपंच ग्राम पंचायत मुन्दड़ा पंचायत समिति, सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय, सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

............रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :–

1. मोहनलाल बिस्सु एडवोकेट, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. शंकरलाल जाखड़ एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5

अपील धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

–: आदेश :–

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस के दादा दानाराम पुत्र परसाराम जाति मेघवाल (बस्सी) निवासी ग्राम मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान के खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग का साबिका (पुराना) खेत ख.नं. 193 तादादी 18 बीघा 7 बिश्वा जिसके हाल ख.नं. 253 तादादी 4.6407 है[illegible] रोही ग्राम मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान में स्थित है। अपीलान्टस के दादा दानाराम [illegible] मेघवाल (बस्सी) जागीदारी समय से ग्राम मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ [illegible] निवास कर रहा था। विक्रम सम्वत् 2000 के पूर्व से साबिका खेत [illegible] रोही ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:08:00 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 जब लागू हुआ तब खेत ख.नं.193 तादादी 18 बीघा 7 बिश्वा पर
को काश्त करता चला आ रहा था। राजस्थान
अपीलान्टस के दादा दानाराम का कब्जा, काश्त होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 की धारा 15 के तहत राजस्थान सरकार भू धारक से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये।
अपीलान्टस के दादा जब तक जीवित रहे, तब तक वादगत अपीलाधीन भूमि पर अपीलान्टस के
दादा का कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग चलता रहा। अपीलान्टस के दादा दानाराम के स्वर्गवास
के पश्चात अपीलान्टस के पिता हरकाराम व दादी फूला देवी पत्नी दानाराम का कब्जा, काश्त,
उपयोग, उपभोग रहा, इन दोनों के स्वर्गवास के पश्चात अपीलान्टस का कब्जा, काश्त, उपयोग,
उपभोग चला आ रहा है। अपीलान्टस के दादा दानाराम पुत्र परसाराम जाति मेघवाल जागीदारी
समय से ग्राम मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान में रहवास निवास करता था तथा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होते समय अपीलाधीन खेत पर जागीदारी समय से दानाराम
की काश्त होने के कारण अपीलान्टस के दादा को खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हुए। अपीलान्टस
के दादा एक भाई ग्राम ऊँटालड़ में रहवास निवास करता था। लगभग 50 वर्ष पूर्व अपीलान्ट का
दादा दानाराम पुत्र परसाराम अपने परिवार सहित पास ही गांव ऊँटालड़ में अपने भाई के पास
जाकर बस गया तब से लेकर अब तक अपीलान्टस के दादा पिता व अपीलान्ट ग्राम ऊँटालड़ में
रहवास निवास कर रहे है। वही से अपीलान्टस के दादा दानाराम के जीवनकाल में दानाराम व
उनके पश्चात उनका पुत्र हरकाराम व उनके पश्चात अपीलान्टस अपीलाधीन खेत साबिका ख.नं.
193 वर्तमान ख.नं. 253 तादादी 4.6407 हैक्टेर रोही मुन्दड़ा को काश्त करते चले आ रहे है।
अपीलान्टस के दादा पिता व अपीलान्टस अनपढ़ व अशिक्षित होने के कारण अपीलाधीन भूमि के
राजस्व रिकार्ड में विरासन्त नामान्तरकरण दर्ज नहीं करवा सके, जिसके चलते वादगत अधिनियम
भूमि की खातेदारी अपीलान्टस के दादा दानाराम पुत्र परसाराम मेघवाल के नाम से ही चली आ
रही थी। अपीलान्टस के दादा अनाराम की स्वर्गवास दिनांक 30.01.1997 में हो चुका है, जब
अपीलान्टस के दादा का स्वर्गवास हुआ तब अपीलान्टस के दादा की उम्र लगभग 85 वर्ष थी,
उनके पश्चात अपीलान्टस की दादी फूला देवी का भी स्वर्गवास दिनांक 15.07.1998 को हो चुका
है व अपीलान्टस के पिता हरकाराम का भी स्वर्गवास दिनांक 06.02.2003 को हो चुका है।
अपीलान्टस के खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत ख.नं. 253 तादादी 4.6407
हैक्टेयर रोही ग्राम मुन्दड़ा की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दानाराम पुत्र परसाराम के नाम से चली
आ रही थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के दादा व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पति दानाराम का नाम भी
दानाराम पुत्र परसाराम जाति मेघवाल (जाटा) है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 को ग्राम मुन्दड़ा के
कुछ भू–माफियां किस्मे के लोग अपने प्रभाव में लेकर साजिशाना तौर पर षड्यंत्र रचकर कर
अपीलान्टस की खातेदारी भूमि को हड़प करने की नियत से नाजायज गिरोह बनाकर रेस्पोडेन्ट सं.
1 ता 4 के पूर्वज दानाराम पुत्र परसाराम जो की जाटा मेघवाल था जिसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र
गलत मृत्यु तिथि अंकित कर दिनांक 23.01.2023 को फर्जी मृत्य प्रमाण पत्र पर गलत तिथि अंकित
कर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया गया व सरपंच ग्राम पंचायत मुन्दड़ा से दानाराम पुत्र परसाराम जाति
मेघवाल बस्सी की जगह रेस्पोडेन्ट के पति/दादा का कुर्सीनामा बनवाकर रेस्पोडेन्टस संख्या 6 के
अधिनस्त कर्मचारियों के समक्ष प्रस्तुत किया। वादगत खेत ख.नं. 253 तादादी 4.6407 हैक्टेयर रोही
ग्राम मुन्दड़ा की खातेदरी में विरासत [illegible] लिए प्रस्तुत किया जिस पर
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 द्वारा गांव के भू–माफियाओं [illegible] चलते साजिशाना रूप से प्रस्तुत
किये गये दस्तावेजों की जाचं किये बगैर ही फर्जी [illegible] आधार पर दानाराम
पुत्र परसाराम बस्सी मेघवाल की खाते[illegible] [illegible]राम जाटा मेघवाल के वारिसानों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:08:00 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड़ अधिकारी
सुजानगढ़

गलत रूप से नामान्तरकरण संख्या 2283 दर्ज दिनांक 20.02.2023 तस्दीक दिनांक 20.03.2023
खोलकर गलत रूप से अपीलान्टस के दादा की खातेदारी रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज
कर पटवारी हल्का मुन्दड़ा द्वारा गिरदावर के समक्ष जिन्हाने भी जांच किये वगैरह कुर्सीनामा व
मृत्यु प्रमाण के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने भी बिना किसी
टिका टिप्पणी व जांच के उक्त नामान्तरकरण वो स्वीकृत कर दिया, जो कि अपीलान्ट के मुकाबले
गलत, शून्य निष्प्रभ है। वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के पति, दादा दानाराम पुत्र
परसाराम की कभी भी खातेदरी काश्त, उपयोग, उपभोग भूमि नहीं रही है। उक्त नामान्तरकरण
रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 4 ने गांव मुन्दड़ा के भूमाफियां किस्म के लोगे के प्रभाव में आकर षड्यंत्र
पूर्वक तैयार किये गये दस्तावेजों की आड़ में राजस्व कर्मचारियो से गलत नामान्तरकरण खुलवाकर
तस्दीक करवााया है। जो कि गलत प्रारंभ से ही शून्य है जिसे खुलवाकर अपीलान्ट अपने नाम
नया नामान्तरकरण खुलवाकर नामान्तरकरण खातेदारी स्वीकृति करवाने के कानूनी अधिकारी है।
रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 4 के दादा पति दानाराम पुत्र परसाराम जाति मेघवाल जाटा छोटी अवस्था
में लगभग 25–30 वर्ष की उम्र के बीच में ही स्वर्गवास हो गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 4 का
पूर्वज दानाराम पुत्र परसाराम जाटा मेघवाल की उम्र जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू
हुआ तब 5–7 वर्ष के भितर–भितर रही है या उस समय पैदा भी नहीं हुआ था या नाबालिग
अवस्था रही है, इसलिए जागीदारी समय में व काश्तकारी अधिनियम लागू होते समय काश्त करने
का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वादगत अपीलाधीन भूमि में एक नाम व एक वल्दियत का
नाजायज रूप से फायदा उठाने के उद्देश्य से फर्जी व कूटरचित व साजिशाना व दस्तावेजों के
आधार पर उक्त गलत नामान्तकरण के आधार पर खातेदारी भूमि हड़प करने की नियत से
विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करवाया है, जो कि मिथ्या व कूटरचित है, जिसे निरस्त किया जाना
न्यायोचित है। अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। दिनांक 05.08.2023 को
अपीलान्टस को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि अपीलाधीन तब रेस्पोडेन्ट ने ऐलानियां कहा कि वादगत
खेत की खातेदारी हमने हमारे नाम से दर्ज करवा ली है व ऐलानियां तौर पर धमकी दी कि
वादगत भूमि में अब आपका कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वादगत भूमि से आपको बेदखल करेगें
व उक्त भूमि को अन्य को विक्रय करेगें, तब अपीलान्टस ने जानकारी दिनांक से आधार मानकर
दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ उक्त अपील प्रस्तुत की व अनुतोष में चाहा गया कि नामान्तरकरण
संख्या 2283 दर्ज दिनांक 20.02.2023 तस्दीक दिनांक 20.03.2023 रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 4 के
नाम दर्ज किया गया है, को खारिज कर अपीलान्टस के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का
आदेश फरमाने का अनुतोष चाहा गया।

अपील दर्ज रजिस्टर्ड की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 की ओर श्री शंकरलाल जाखड
एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 4 ने उपस्थित
होकर राजीनामा प्रस्तुत किया।

अपील में अपीलान्टस, रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 4 ने राजीनामा प्रस्तुत किया है। राजीनामे
को तस्दीक किया गया है। पक्षकारान ने राजीनामे में अंकित किया है कि अपीलान्टस के दादा
दानाराम पुत्र परसाराम जाति मेघवाल (बरसी) निवासी ग्राम मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
राजस्थान के खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग [illegible] (पुराना) खेत खसरा नम्बर
193 तादादी 18 बीघा 7 बिश्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 253 तादादी 4.6407 हैक्टेयर वाके रोही
ग्राम मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान [illegible] जो जागीदारी समय से
अपीलान्ट्स के दादा दानाराम पुत्र परसाराम जाति [illegible] (बरसी) के कब्जा का रहा है।
नामान्तरकरण संख्या 2283 दर्ज दिनांक 20.02.2023 तस्दीक दिनांक 20.03.2023 रेस्पोडेन्टस के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:08:00 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

नाम से गलत दर्ज होकर तस्दीक हो गया है। उक्त भूमि रेस्पोडेन्टान की कभी नहीं रही है, ना ही रेस्पोडेन्टान का कभी भी कोई कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग नहीं रहा है। सन् 1976 में रेस्पोडेन्टान के पति/पिता दानाराम पुत्र परसाराम जाति मेघवाल (जाटा) की भूमि का खेत खसरा नम्बर 121, 428 रोही ग्राम मुन्दड़ा का नामान्तरकरण दर्ज करते समय भी भूलवश खातेदारी में नाम एक होने के कारण उक्त साबिका (पुराना) खेत खसरा नम्बर 193 तादादी 18 बीघा 7 विश्वा जिसके हाल ख०नं० 253 तादादी 4.6407 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान के संबंध में पूर्व में एक नामान्तरकरण सं० 15 उक्त खसरे का दिनांक 27.05.1976 को भी भूलवश खोला गया था, जिसको तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत मुन्दड़ा द्वारा दानाराम पुत्र परसाराम जाति मेघवाल (बस्सी) मौजूद होने के कारण रेस्पोडेन्टान के नाम से खोला गया नामान्तरकरण को खारिज किया गया था। उक्त नामान्तरकरण हम रेस्पोडेन्टास के नाम खसरा नम्बर 253 रोही मुन्दड़ा में गलत दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है, जिसको खारिज किये जाने में हमारी पूर्ण सहमति है। राजीनामें को तस्दीक किया जार शामिल पत्रावली किया गया।

बहस पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 2283 दर्ज दिनांक 20.02.2023 तस्दीक दिनांक 20.03.2023 के आधार पर खेत ख.नं. 253 तादादी 4.6407 हैक्टेयर रोही ग्राम मुन्दड़ा की भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज किया जाकर रेस्पोडेन्टस संख्या 5 द्वारा तस्दी किया गया है। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 4 ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर यह राजीनामा में स्वीकार किया है कि खेत ख.नं. 253 तादादी 4.6407 हैक्टेयर रोही ग्राम मुन्दड़ा की भूमि का नामान्तरकरण हमारे नाम से गलत दर्ज हुआ है। उक्त भूमि अपीलान्टस के दादा दानाराम पुत्र परसाराम जाति मेघवाल (बस्सी) की भूमि है, हमारे दर्ज नामान्तरकरण को खारिज कर अपीलान्ट्स के नाम दर्ज कर दी जावे। इस संदर्भ में राजीनामा के साथ नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 27.05.1976 भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें भी रेस्पोडेन्टान के नाम इसी भूमि का नामान्तरण दर्ज हो गया था, जिसको भी पूर्व में खारिज किया जा चुका है। इससे यह पूर्ण रूप से साबित है, कि उक्त खेत ख.नं. 253 तादादी 4.6407 हैक्टेयर रोही ग्राम मुन्दड़ा की भूमि नामान्तरण रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 4 के नाम गलत खोलकर तस्दीक किया गया, जिसे खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचना अनुसार व पक्षकारान के राजीनामे की स्थिति को देखते हुए उक्त अपील को मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 2283 दर्ज दिनांक 20.02.2023 तस्दीक दिनांक 20.03.2023 में दर्ज खेत ख.नं. 253 तादादी 4.6407 हैक्टेयर रोही ग्राम मुन्दड़ा तहसील सुजानगढ जिला चूरू के नामान्तरण को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि अपीलान्ट्स के दादा स्व. दानाराम पुत्र परसाराम के वारिसान की जांच कर विधिसम्मत नामान्तरकरण दर्ज कर तस्दीक करे। पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 05/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:08:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़